

प्रेस नोट-
थाना बबीना , झाँसी

दिनांक- 12.02.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- थाना बबीना पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार,
- गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 12.02.2026 को थाना बबीना पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), झाँसी द्वारा निर्गत गैर-जमानती वारंट संबंधित वाद संख्या 1068/21 अ0सं0 188/19 धारा 135 विद्युत अधिनियम से संबंधित वारण्टी अभियुक्त- 1. ब्रजकिशोर पुत्र स्व0 श्याम लाल उम्र करीब 57 वर्ष निवासी ग्राम घिसौली, थाना-बबीना, जनपद-झाँसी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण –

1. ब्रजकिशोर पुत्र स्व0 श्याम लाल उम्र करीब 57 वर्ष निवासी ग्राम घिसौली, थाना-बबीना, जनपद-झाँसी।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री भगत सिंह थाना बबीना जनपद झाँसी।
2. हे0का0 286 आशीष कुमार थाना बबीना जनपद झाँसी।
3. का0 120 महेश चन्द्र थाना बबीना जनपद झाँसी।